भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली

प्रशासन

सं.16/78/2023-Admn./E.Office-170027 **दिनांक:23/11/2026**

कार्यालय ज्ञापन

मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष **26 नवम्बर** को संविधान दिवस (Samvidhan Diwas) मनाया जाता है।

परिषद के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस वर्ष भी यह निर्णय लिया गया है कि "प्रस्तावना वाचन (Read the Preamble)" गतिविधि का आयोजन दिनांक 26.11.2026 को प्रातः 11:00 बजे ICMR मुख्यालय, नई दिल्ली स्थित सम्मेलन कक्ष (कक्ष संख्या 301), द्वितीय तल में किया जाएगा।

सभी ICMR अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे उपस्थित होकर संविधान की प्रस्तावना का वाचन एवं संकल्प ग्रहण करें।

परिषद के सभी संस्थान/केन्द्र भी उक्त कार्यक्रम में VC लिंक के माध्यम से सम्मिलित होंगे।

विषय: संविधान दिवस समारोह के संबंध में

कार्यक्रम: 26 नवंबर, 2026 प्रातः 11:00 बजे, नई दिल्ली

Join Zoom from PC, Mac, iOS or Android:
https://teams.microsoft.com/meet/424219954895093?p=uHHZ9EdLFkNjrgIPwH

Meeting ID: 424 219 954 895 093
Passcode: 5tN3wq2Q

23/11/26

(जयबीर सिंह)
सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

1. महानिदेशक/वरि.उपमहानिदेशक (प्रशा.)/वरि.वित्त सलाहकार के निजी सचिव/संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव (DHR)।
2. सभी ICMR संस्थानों/केन्द्रों के निदेशक/निदेशक-प्रभारी।
3. परिषद के सभी प्रभाग प्रमुख।
4. उप महानिदेशक (प्रशा.)/सहायक महानिदेशक।
5. सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ लेखा एवं स्थापना अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/लेखा अधिकारी।
6. ICMR मुख्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी।
7. डॉ. एम.एस. चालगा, वैज्ञानिक-डी – कृपया इसे ICMR वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब** में व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a [1][**SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC**] and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the [2][unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949 do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

---

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)
2. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)